तारीख हुक्म	हुक्मनामा [illegible] जज दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड मुकदमा नम्बर 91/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

बचपन का नाम ही धोला है। अतः धोला पुत्र ईशरा का नाम चौथमल पुत्र ईशरा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। जिसके आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र प्राकृतिक न्याय की भावना से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत उचित प्रतित होता है।

"आदेश"

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम रींगस तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3430 लगायत 3440, 3447 कुल किता 12 कुल रकबा 6.7200 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड खातेदारी जमाबन्दी में वादी का नाम "धोला पुत्र ईशरा हिस्सा 1/16" के स्थान पर "चौथमल पुत्र ईशरा हिस्सा 1/16" घोषित किया जाकर नाम दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की कार्यवाही करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Scanned by TapScanner